

वाद संख्या: 20/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगंगानगर

मनफूल आदि बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या :- 2022/24 (GMS)

08.02.22 यह पत्रावली वादीगण की ओर से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये वकील श्री मनफूल सिंह जाखड़ के प्रस्तुत करने पर पेश हुई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करके पत्रावली दिनांक 14.03.22 को पेश हो।

14.3.22 पत्रावली पेश। वकील वार्ड को तलबी हेतु
रु. नोट प्रवसट हेतु पत्रावली दिनांक
19.4.22 को पेश हो।

19.4.22 पत्रावली पेश। श्रीमान पी.ओ. साहब
अन्य कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर/
मुख्यालय से बाहर है। पत्रावली
पूर्वानुसार दि. 14.6.22 को पेश हो।

14.6.22 पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। वकील
वादी को इस वाद को नोटिस रूट नसी
स्त पर निर्दिष्ट रखे का निवेदन किया।
मरण किया एवं आवेदन किया गया।
निवेदन स्वीकार करते हुए यह वाद पत्र
नोटिस के माध्यम पर इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली
वाद तस्वीर तलबी हेतु दर्ज
हो।

उपखण्ड अधिकारी
घडसाना